Is: प्रमाणित प्रतिलिपि वास्ते परिवादी/विपक्षी

प्रति हस्ताक्षर

अध्यक्ष/सदस्य
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
जिला सवाई माधोपुर (राज.)

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,सवाई माधोपुर

समक्ष :– श्री देवकरण गुर्जर, अध्यक्ष
श्री हनुमान मीना, सदस्य

परिवाद सं0 :–247 / 2021 परिवाद प्रस्तुति दिनांक 03.09.2020

दिनेश कुमार मीणा पुत्र बलबीर सिंह मीणा, उम्र 56 वर्ष, पेशा सरकारी सेवरत निवासी हाल अति. पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर, राजस्थान

परिवादी

विरुद्ध

1 भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड, मुख्य डाकघर के पास बजरिया, सवाई माधोपुर राजस्थान जरिए प्रबंधक पिन– 322001

2 1 भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस 11 राना डे मार्ग, अलवर गेट, अजमेर, राजस्थान पिन– 305001

विपक्षीगण

उपस्थिति :–

1. श्री हरिप्रसाद योगी, अधिवक्ता परिवादी।
2. श्री घनश्याम जाट, अधिवक्ता विपक्षीगण।

द्वारा देवकरण गुर्जर (अध्यक्ष) दिनांक : 20.09.2022

नि र्ण य

परिवादी ने यह परिवाद संक्षेप में इन तथ्यों के साथ पेश किया है कि परिवादी ने विपक्षी भारतीय जीवन बीमा निगम में लगभग 15 वर्ष पूर्व एक बीमा पॉलिसी संख्या 184153492 करवायी थी, जिसमें बीमा प्रीनियम राशि नियमानुसार परिवादी की सरकारी सैलेरी में से प्रतिमाह 2500 रूपए काटी जाती रही। उक्त बीमा पॉलिसी दिनांक 12.09.1999 से शुरू होकर 23.09.2019 को परिपक्व होनी थी लेकिन जब परिपक्व होने पर विपक्षी कंपनी द्वारा 78075 रूपए काट कर परिवादी को भुगतान किया गया, इस संबंध में विपक्षी बीमा कंपनी से जानकारी ली तो बताया गया कि वर्ष 2014 में 3 माह की सैलेरी में से परिवादी की प्रीमियम राशि 2500 रूपए प्रतिमाह के हिसाब से 3 माह के 7500 रूपए की प्रीमियम राशि जमा नहीं होने के कारण 78075 रूपए काट लिए गए हैं जो कि भारी सेवादोष कारित होता है। इस प्रकार परिवादी ने अपने परिवाद में वर्णित तथ्यों के आधार पर परिवाद स्वीकार कर वाजिब अनुतोष दिलाये जाने का निवेदन किया।

मुख्य प्रतिलिपिकार
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
जिला सवाई माधोपुर (राज.)

परिवादी ने अपने परिवाद के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र व दस्तावेजात की प्रतियॉ पेश की।

सदस्य
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
जिला सवाई माधोपुर (राज.)

अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
जिला सवाई माधोपुर (राज.)

विपक्षीगण ने परिवाद का जवाब पेश कर कथन किया है कि परिवादी द्वारा एक जीवन सुरभी पॉलिसी संख्या 184153492 बाबत् बीमा धन 300000 रूपए के लिए दिनांक 23.09.1999 को तालिका 107 अवधि 20 वर्ष, प्रीमियम भुगतान अवधि 15 वर्ष के लिए विपक्षी संख्या 2 से प्राप्त की थी। उक्त पॉलिसी की परिपक्वता अवधि 23.09.2019 थी। यह सही है कि प्रीमियम 2500 रूपए मासिक परिवादी की सैलेरी में से काटकर विपक्षीगण को अदा किया जाता था। उक्त पॉलिसी संख्या 184153492 के तहत अंतिम प्रीमियम अगस्त 2014 में प्राप्त होना था, किंतु पॉलिसी के तहत जून 2014, जुलाई 2014 एवं अगस्त 2014 के प्रीमियम विपक्षी निगम को प्राप्त नहीं हुए जिसके संबंध में परिवादी को पत्र दिनांक 03.07.2015, 10.07.2016, एवं 17.06.2019 के द्वारा स्टेटस एवं गेप सूचना प्रेषित की गई। पॉलिसी की शर्तों के अनुसार पॉलिसी में प्रीमियम 15 वर्षों तक प्राप्त होना था, किंतु तीन गेप्स उपरोक्त वर्णितानुसार होने के कारण पॉलिसी के अंतर्गत मात्र 14 वर्ष 9 माह के प्रीमियम प्राप्त हुए हैं। इस कारण पॉलिसी के अधीन मात्र पैडअप परिपक्वता दावा राशि ही देय थी। पॉलिसी के पूर्व में माह सितंबर 2014 में दिनांक 23.09.2014 को जरिए चैक नंबर 0160215 के मार्फत परिवादी पॉलिसी धारक को जो विध्यमानता हितलाभ रूपये 75000 दिया गया था। चूंकि पॉलिसी की शर्तों के अनुसार परिवादी उक्त राशि प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता था। पॉलिसी के तहत तीन माह के प्रीमियम प्राप्त नहीं होने के कारण पेडअप वेल्यू एवं बोनस भी उसी अनुपात में कम हो गए एवं पॉलिसी धारक को पेडअप राशि में से (75000+3075) 78075 रूपये काट कर शेष राशि 2,35,125 रूपए का भुगतान परिवादी को दिनांक 23.09.2019 को नियमानुसार किया जा चुका है। अतः विपक्षीगण ने परिवादी का परिवाद खारिज किए जाने का निवेदन किया।

विपक्षी संख्या 1 ने अपने साक्ष्य में शपथ पत्र व दस्तावेजात की प्रतियॉ पेश की।

परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता मेघा योगी ने बहस के दौरान कथन किया है कि परिवादी द्वारा विपक्षीगण के यहां 15 वर्ष पूर्व एक बीमा सरकारी सैलेरी से प्रतिमाह 2500 रूपए कटौती कराया था जो दिनांक 12.09.1999 से शुरू होकर दिनांक 23.09.2019 को परिपक्व होना था। परिवादी के सैलेरी में से वर्ष 2014 में तीन माह की सैलेरी से उक्त प्रीमियम राशि की कटौती नहीं होने पर परिवादी को उक्त किश्तों के 7500 रूपए जमा नहीं होने के कारण 78075 रूपए की कटौती कर ली गई, उक्त कटौती किस आधार पर की गई इसलिए विपक्षी का यह कृत्य जो अनुचित व्यापार व्यवहार व सेवादोष की श्रेणी में आने से यह परिवाद प्रस्तुत कर परिवाद स्वीकार किए जाने का निवेदन किया है।

विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री धनश्याम जाट ने बहस के दौरान कथन किया है कि परिवादी द्वारा एक जीवन सुरभी पॉलिसी संख्या 184153492 बाबत् बीमा धन 300000 रूपए के लिए दिनांक 23.09.1999 को तालिका 107 अवधि 20 वर्ष, प्रीमियम भुगतान अवधि 15 वर्ष के लिए विपक्षी संख्या 2 से प्राप्त की थी। उक्त पॉलिसी की परिपक्वता अवधि 23.09.2019 थी। यह सही है कि प्रीमियम 2500 रूपए मासिक परिवादी की सैलेरी में से काटकर विपक्षीगण को अदा किया जाता था। उक्त पॉलिसी संख्या 184153492 के तहत अंतिम प्रीमियम अगस्त 2014 में प्राप्त होना था, किंतु पॉलिसी के तहत जून 2014, जुलाई 2014, एवं अगस्त 2014 के प्रीमियम विपक्षी निगम को प्राप्त नहीं हुए, जिसके संबंध में परिवादी को पत्र दिनांक 03.07.2015, 10.07.2016, एवं 17.06.2019 के द्वारा स्टेटस एवं गेप सूचना प्रेषित की गई। पॉलिसी की शर्तों के अनुसार पॉलिसी में प्रीमियम 15 वर्षों तक प्राप्त होना था, किंतु तीन गेप्स उपरोक्त वर्णितानुसार होने के कारण पॉलिसी के अंतर्गत मात्र 14 वर्ष 9 माह के प्रीमियम प्राप्त हुए हैं इस कारण पॉलिसी के अधीन मात्र पैडअप परिपक्वता दावा राशि ही देय थी। पॉलिसी के पूर्व में माह सितंबर 2014 में दिनांक 23.09.2014 को जरिए चैक नंबर 0160215 के मार्फत परिवादी पॉलिसी धारक को जो विध्यमानता हितलाभ रूपए 75000 दिया गया था। चूंकि पॉलिसी की शर्तों के अनुसार परिवादी उक्त राशि प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता था। पॉलिसी के तहत तीन माह के प्रीमियम प्राप्त नहीं हाने के कारण पेडअप वेल्यू एवं बोनस भी उसी अनुपात में कम हो गए एवं पॉलिसी धारक को पेडअप राशि में से (7500)+3075) 78075 रूपए काट कर शेप राशि 235125 रूपए का भुगतान परिवादी

मुख्य प्रतिलिपिकार
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिकार आयोग
जिला सवाई माधोपुर (राज.)

सदस्य
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिकार आयोग
जिला सवाई माधोपुर (राज.)

अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिकार आयोग
जिला सवाई माधोपुर (राज.)

को दिनांक 23.09.2019 को नियमानुसार किया जा चुका है। अतः विपक्षीगण ने परिवादी का परिवाद खारिज किए जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनने के उपरांत परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर परिवादी ने विपक्षीगण के यहां अपनी सैलेरी से प्रतिमाह 2500 रूपए की कटौती कर बीमा कराया था जो 23.09.2019 को परिपक्व होने पर परिवादी से 78075 रूपए की कटौती करते हुए भुगतान किया गया है जिसमें परिवादी द्वारा अपनी सैलेरी से उक्त प्रीमियम राशि की कटौती कर विपक्षी द्वारा ली जाती थी, परंतु परिवादी की सैलेरी से वर्ष 2014 में जुन, जुलाई, अगस्त तीन माह की किश्तें जमा नहीं होने के कारण उक्त राशि कटौती करने से यह परिवाद हमारे समक्ष प्रस्तुत किया परिवादी ने अपने परिवाद के समर्थन में बीमा पॉलिसी की फॉटोप्रति प्रस्तुत की है जो शामिल पत्रावली है, जिसका अवलोकन करने पर परिवादी को 23.09. 1999 को शुरू होकर 23.09.2019 को परिपक्व होने पर 300000 रूपए दिए जाने का हवाला है। हमने विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर विपक्षी को उक्त पॉलिसी के तहत 75000 रूपए का हितलाभ दिया जाना था, परंतु परिवादी ने 3 किश्ते जमा नहीं कराने के कारण 75000 रूपए हितलाभ एवं पैडअप वेल्यू बोनस के अनुपात में 3075 रूपए कम कर शेष राशि 235125 रूपए का भुगतान पॉलिसी शर्तों के अनुसार कर दिया गया है। विपक्षी ने जवाब के समर्थन में स्टेट एवं गैप सूचना के तीन पत्रों की फॉटोप्रति प्रस्तुत की है एवं बीमा पॉलिसी की शर्तो की फॉटोप्रति भी प्रस्तुत की हे जो शामिल पत्रावली है। उक्त दस्तावेजों का अवलोकन करने पर विपक्षी द्वारा परिवादी को दी गई सूचना स्टेट गैप के पत्रों के साथ ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित होता हो कि परिवादी को तीन किश्तों का भुगतान होने की सूचना देदी हो ऐसी कोई डाक रसीद विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। परिवादी की उक्त बीमा पॉलिसी की प्रीमियम राशि परिवादी की सैलरी से कटौती की जाती थी। इसलिए परिवादी ने जान–बूझकर उक्त तीन किश्तों का भुगतान नहीं किया हो, ऐसा विपक्षी द्वारा साबित नहीं किया गया है इसलिए विपक्षी द्वारा परिवादी के हितलाभ की राशि 75000 रूपए व बोनस राशि की कटौती कर अनुच्चित व्यापार व व्यवहार किया जाना साबित होने के कारण हमने समस्त पत्रावली एवं पत्रावली में उपस्थित दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विपक्षीगण के विरुद्व स्वीकार किया जाता है।

मुख्य प्रतिलिपिकार
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
जिला सवाई माधोपुर (राज.)

<u>आदेश</u>

परिणामतः परिवादी का परिवाद विरुद्व विपक्षीगण संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से स्वीकार किया जाकर परिवादी की तीन माह की राशि 7500 रूपए (अक्षरे सात हजार पांच सौ रूपए) की कटौती करते हुए शेष राशि 70575 (अक्षरे सत्तर हजार पांच सौ पिचत्तहर रूपए) रूपए असल एवं परिवाद प्रस्तुति की दिनांक से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अदा करने के आदेश दिए जाते है। आर्थिक एवं मानसिक क्षतिपूर्ति 10000(अक्षरे दस हजार रूपए) रूपए एवं परिवाद

सदस्य
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
जिला सवाई माधोपुर (राज.)

अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
जिला सवाई माधोपुर (राज.)

व्यय 5000(अक्षरे पांच हजार रुपए) रुपए अलग से दिलाए जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त आदेश की पालना 2 माह में सुनिश्चित किए जाए।

हनुमान मीना
सदस्य
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
जिला सवाई माधोपुर (राज.)

देवकरण गुर्जर
अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
जिला सवाई माधोपुर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 को खुले आयोग में सुनाया गया।

हनुमान मीना
सदस्य
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
जिला सवाई माधोपुर (राज.)

देवकरण गुर्जर
अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
जिला सवाई माधोपुर (राज.)

मुख्य प्रतिलिपिकार
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
जिला सवाई माधोपुर (राज.)